

संख्या :- 972/1-10-2016-33(16)/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, (वलरामपुर एवं विजनौर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक :: 05 सितम्बर, 2016

विषय: वर्ष 2015 में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से कृषि फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष शासन द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि के वितरण के पश्चात् अवशेष किसानों तथा धनराशि का विवरण प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रदेश के 73 जनपद प्रभावित हुये थे। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को ₹0 2801.59 करोड़ राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से, ₹0 478.70 करोड़, राज्य आपदा मोचक निधि से तथा ₹0 1218.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से अर्थात् कुल ₹0 4498.29 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जनपदों द्वारा की गयी मांग एवं शासन द्वारा जनपदवार स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि (लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	प्रभावित किसानों की संख्या	जनपद द्वारा प्रेषित कृषि क्षति की धनराशि	अब तक जनपदों को कुल आवंटित धनराशि (लाख में)
1	बांदा	394083	33619.89	22988.07
2	मीरजापुर	472140	5833.92	3700.76
3	ललितपुर	289583	35510.96	17270.60
4	महोबा	206868	25323.00	20114.11
5	मुजफ्फरनगर	81087	2490.23	2490.23
6	सहारनपुर	97507	3089.76	3089.76
7	आगरा	148611	15924.89	8443.90
8	जालौन	250400	26683.92	20115.95
9	चित्रकूट	197200	17186.91	13690.94
10	इटवा	316022	6036.43	6036.43
11	आजमगढ़	366761	5901.59	5901.59
12	कानपुर देहात	417927	19458.65	11402.75
13	हमीरपुर	233147	26203.98	18469.04
14	मुरादाबाद	452569	17332.76	8093.54
15	बदायूँ	329161	5957.55	5957.55
16	सोनभद्र	442	19.43	25.11
17	इलाहाबाद	715778	16578.82	7242.88

18	पीलीभीत	50582	1552.80	1552.80
19	अमेठी	327196	5766.30	3756.64
20	कन्नौज	235552	6826.76	6826.76
21	कानपुर नगर	477227	9301.52	8956.57
22	लखीमपुर खीरी	158562	4087.30	3136.90
23	फर्रुखाबाद	31925	819.00	819.00
24	फतेहपुर	422132	26633.65	10395.80
25	उन्नाव	133365	4420.59	4420.59
26	बरेली	324543	8867.86	6752.95
27	फिरोजाबाद	307244	11880.85	8369.82
28	औरैया	70052	1525.96	1525.96
29	प्रतापगढ़	537319	15444.07	7030.94
30	झांसी	319844	35650.14	27840.97
31	फैजाबाद	128058	2247.56	2247.56
32	रामपुर	238996	12099.09	6847.66
33	शाहजहांपुर	544162	13191.77	7670.21
34	मथुरा	566958	31551.03	24857.78
35	कुशीनगर	334364	5353.12	2807.52
36	एटा	218058	7251.20	7251.20
37	बुलन्दशहर	381869	15100.73	8889.44
38	बलिया	322780	4588.59	3302.82
39	गोरखपुर	191669	5906.39	3869.60
40	सम्भल	184329	13467.87	10900.00
41	हापुड	83079	2996.54	2996.54
42	गौतमबुद्धनगर	136580	5651.60	3347.04
43	हाथरस	212555	12104.77	5293.69
44	शागली	17931	668.31	891.08
45	मैनपुरी	184479	14064.44	8450.00
46	अलीगढ़	340037	7206.44	3885.00
47	कासगंज	56647	1554.40	1554.40
48	कौशाम्बी	276053	7160.22	3385.00
49	बहराइच	9572	201.23	248.49
50	बाराबंकी	371543	10131.38	4135.00
51	सुल्तानपुर	191556	2833.95	2725.51
52	वागपत	18096	489.76	489.76
53	अमरोहा	224077	5745.80	3285.00
54	गाजीपुर	567970	27055.95	7962.67
55	लखनऊ	421483	11188.00	4435.00
56	गाजियाबाद	17866	583.96	583.96
57	रायबरेली	687206	19153.05	6085.00

58	हरदोई	526992	22768.29	6635.00
59	मऊ	32252	510.00	510.00
60	अम्बेडकरनगर	133201	4539.14	3185.00
61	सीतापुर	490417	27812.63	7135.00
62	मेरठ	21143	754.01	754.01
63	संतरविदासनगर	220435	2867.19	2867.19
64	वाराणसी	457018	5489.64	3435.00
65	जौनपुर	722476	10972.68	3885.00
66	चंदौली	294219	12893.04	4485.00
67	देवरिया	741684	7455.78	3235.00
68	सिद्धार्थनगर	32901	1259.43	1259.43
69	बस्ती	946078	16264.38	4135.00
70	गोण्डा	485	15.12	15.12
71	श्रावस्ती	43	1.68	1.68
72	महाराजगंज	19665	590.76	590.76
73	संतकबीरनगर	133228	4224.56	2885.00
		19995379	753894.91	449829.03

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित ऐसे किसानों जिन्हें कृषि निवेश अनुदान अभी तक वितरित नहीं किया गया है तथा ऐसे किसानों जिन्हें मात्र भारत सरकार के मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान दिया जा चुका है, का विवरण निम्नलिखित प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 पर राहत आयुक्त के ईमेल आईडी-rahat@nic.in एवं फैंक्स नम्बर-0522-2238084, 2236305 पर प्रत्येक दशा में दिनांक 11.09.2016 की पूर्वान्ह तक अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

प्रारूप-1		
अवशेष ऐसे किसानों की संख्या जिन्हें न तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार और न ही राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के कम में शासनादेश संख्या-315/1-11-2015-1(जी)/2015टी0सी0, दिनांक 05.06.2016 के अनुसार कोई सहायता दी गयी है।	कालम-1 में दर्शाये गये किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार कृषि निवेश अनुदान दिये जाने हेतु कुल आगणित धनराशि (रु० करोड़ में)	कालम-1 में दर्शाये गये किसानों को राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार कृषि निवेश अनुदान दिये जाने हेतु कुल आगणित धनराशि (रु० करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
	योग-	योग-

प्रारूप-2		
ऐसे किसानों की संख्या जिन्हें मात्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया गया है परन्तु राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार कोई सहायता नहीं दी गयी है।	वितरित की गयी धनराशि (रु० करोड़ में)	राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार देय धनराशि
(1)	(2)	(3)
	योग-	योग-

भवदीय,

 (अरविन्द कुमार)
 प्रमुख सचिव।